

08-09-2014

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा से पेश। सहित श्री शरणागत अधिवक्ता।

प्रकरण आरोप पूर्व तर्क हेतु नियत है।

इस आदेश द्वारा उभयपक्ष के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320 एवं 320(2) द.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अपराध का आरोप है। उक्त अपराध शमनीय प्रकृति का है, आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। फरियादी नंदलाल अरमो अभियोजित अपराध धारा-420 भा.दं.सं. के अपराध के शमन हेतु सक्षम पक्षकार है, उसकी पहचान श्री शरणागत, अधिवक्ता ने की है। अतः राजीनामा के आधार पर अपराध शमन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

फरियादी/आवेदक द्वारा स्वैच्छया, बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच अपराध शमन करना व्यक्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। राजीनामा किये जाने में कोई विधिक बाधा होना प्रकट नहीं होती है। अतएव फरियादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

आरोपी का रिहाई आदेश जारी किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा नगद राशि 4,50,000/—(चार लाख पचास हजार रुपये) को फरियादी नंदलाल आरमो पिता स्वर्गीय श्री सुबेलाल आरमो, निवासी रेहंगी, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट के द्वारा सुपुर्दगी में प्रदान किये जाने हेतु अभियोग पत्र पेश होने के उपरांत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-451 द.प्र.सं. पेश किया गया है, जिस पर आरोपी की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। उक्त राशि फरियादी नंदलाल आरमो से आरोपी के द्वारा कथित छल से प्राप्त किया जाना तथा आरोपी से जप्त किया जाना प्रकट होता है, जिस पर फरियादी का अधिकार होना प्रकट होता है। अतएव आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप उक्त जप्तशुदा राशि 4,50,000/—(चार लाख पचास हजार रुपये) को फरियादी नंदलाल को विधिवत प्रदान की जाकर पावती ली जावे। शेष जप्तशुदा कपड़े का झोला मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)
न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)